पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,

पंजीकृत कार्यालय–विद्युत नगर, भिखारीपुर, पोस्ट–डी०एल०डब्ल्यू०, वाराणसी, उ०प्र० (भारत)–221004
वेबसाइट:–www.puvvnl.nic.in ई–मेल:– md@puvvnl.in
CIN-U31200UP2003SGC027461
फोन नम्बर – 0542–2318437 फैक्स नम्बर – 0542–2319152

पत्रांक : 1288/पू.वि.वि.नि.लि.(वा.)/ई–6/स्था0 दिनांक: 24-06-2025

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा कारपोरेशन मुख्यालय लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप संख्या I/12743/2025/E-7/PA-2 दिनांक 02-06-2025 द्वारा विज्ञापन सं0. 04/विसेआ/2014 के अन्तर्गत चयनित एवं तदुपरान्त सेवा से निष्कासित तकनीशियन (विद्युत) के सन्दर्भ में मा० सर्वोच्च न्यायालयए नई दिल्ली में योजित मिसलेनियस एप्लीकेशन M.A. (Diary) No-4407/2023 एवं सम्बद्ध अन्य एप्लीकेशन में दिनांक 05.11.2024 को पारित निर्णय के अनुपालन में विद्युत सेवा आयोग, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि0 के पत्रांक 15/विसेआ दिनांक 06.02.2025 एवं I/11859/2025 दिनांक 22.05.2025 द्वारा उपलब्ध कराये गये एवं पूर्वांचल डिस्काम को आवंटित निम्नांकित अर्ह तकनीशियन (विद्युत) कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख अंकित क्षेत्र (स्तम्भ–10) में अग्रेतर तैनाती हेतु आवंटित किया जाता है:–

S. No.	Roll No.	Regn No.	Name	Father Name	Date of Birth	Home District	PREVIOUS DISCOM	ALLOTED DISCOM	ALLOTED ZONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	23110428	144006221	SUDHAKAR CHAUHAN	HARINDRA CHAUHAN	13-09-1987	MAU	PuVVNL	PuVVNL	AZAMGARH ZONE

उपर्युक्त कार्मिक की पुनर्बहाली निम्न प्रतिबंधों के अधीन की गयी है :–

1. तकनीशियन कार्मिक द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों/सूचना में यदि किसी स्तर/समय पर कोई कमी पायी जाती है अथवा उनके द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग कर चयन पाये जाने का मामला प्रकाश में आता है तो उनका चयन/नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी एवं उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी।
2. ऐसे तकनीशियन कार्मिक जो वर्तमान में किसी अन्य विज्ञापन से चयनित होकर उ०प्र0 पावर कारपोरेशन लि० एवं इसकी सहयोगी कंपनियों तथा उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० में सेवायोजित हैं अथवा किसी अन्य शासकीय/अर्ध शासकीय कंपनी/विभाग व उपक्रम में सेवायोजित हैं, उनके द्वारा अपने नवीन पुनर्बहाली स्थल पर उनके वर्तमान कंपनी/विभाग व उपक्रम से अवमुक्ति संबंधी प्रपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

निगम मुख्यालय स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही :–

1. उपरोक्त तकनीशियन (विद्युत) को रिक्त पदों के विरुद्ध तैनाती हेतु निगम मुख्यालय द्वारा आवश्यकता अनुसार खण्डीय कार्यालय में आवंटित किया जाएगा।
2. उक्त तकनीशियन (विद्युत) के चयन के समय विद्युत सेवा आयोग द्वारा प्रेषित मूल डोजियर एवं पूर्व तैनाती खण्ड में उपलब्ध मूल सेवा पुस्तिका पूर्व के तैनाती खण्ड/ प्रथम तैनाती खण्ड से मूल रूप में नवीन पुनर्बहाली स्थल को प्रेषित करने हेतु संबंधित को निर्देशित किया जाएगा।

नव पदस्थापना स्थल के प्राधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही :–

1. नव पदस्थापना स्थल के प्राधिकारी द्वारा पुनर्बहाल तकनीशियन कार्मिक को पुनर्बहाली पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु पत्र प्रेषित किया जायेगा। कार्मिक को नवीन नियुक्ति पत्र (appointment letter) नहीं निर्गत किया जाना है क्योंकि यह पुनर्बहाली है, नई नियुक्ति नहीं है।
2. नव पदस्थापना स्थल के प्राधिकारी द्वारा कार्मिक के सेवा से निष्कासन से पूर्व के तैनाती स्थल/प्रथम तैनाती स्थल से उनका मूल डोजियर प्राप्त किया जायेगा एवं उससे कार्मिक तथा उनके प्रपत्रों का सत्यापन कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व किया जायेगा।

3. पूर्व तैनाती स्थल/प्रथम तैनाती स्थल से कार्मिक की Service Book नव पदस्थापना स्थल के प्राधिकारी द्वारा प्राप्त कर पूर्ण की जाएगी।
4. मा० उच्चतम न्यायालय के सन्दर्भित निर्णय के अनुसार पुनर्बहाली पश्चात सेवा ज्वाइन करने वाले तकनीशियन (विद्युत) को पूर्व की मूल नियुक्ति तिथि से सभी परिणामी लाभ यथा सेवा निरंतरता Pay Fixation एवं टर्मिनल Benefits इत्यादि नव पदस्थापन स्थल के प्राधिकारी द्वारा प्रदान किये जाएंगे।
5. अभ्यर्थी के अभिलेखों के मूल प्रमाण पत्रों से मिलान/जांच कराना सुनिश्चित करेंगे।
6. कोई सूचना/गलत/असत्य/अपूर्ण पाये जाने पर तत्काल विद्युत सेवा आयोग/मुख्य अभियन्ता (हाइडिल), को सम्बन्धित निगम मुख्यालय के माध्यम से सूचित किया जायेगा।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक : 1288/**पू.वि.वि.नि.लि.(वा.)/ई–6/स्था0** **दिनांकः** 24-06-2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित :–

1. मुख्य अभियन्ता (हाइडिल), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (वितरण), आजमगढ़ क्षेत्र, पू0वि0वि0नि0लि0, आजमगढ।
3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, डिस्काम मुख्यालय, वाराणसी।
4. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, विद्युत विद्युत वितरण खण्ड।
5. सम्बन्धित कार्मिक।
6. प्रबन्ध निदेशक, पू0वि0वि0नि0लि0, वाराणसी के शिविर सहायक।

(अजात शत्रु)
अधिशासी अभियन्ता (मुख्या0)
कृते प्रबन्ध निदेशक

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन विस्तार, 14- अशोक मार्ग, लखनऊ।
CIN : U32201UP1999SGC024928
ई-मेल : ce.hydel@uppcl.org
फोन नं0 : 0522-2288888

संख्याः I/12743/2025/E-7/PA-2 दिनांकः 02.06.2025

कार्यालय-ज्ञाप

विज्ञापन सं०- 04/विसेआ/2014 के अंतर्गत चयनित एवं तदुपरांत सेवा से निष्कासित तकनीशियन (विद्युत) के सन्दर्भ में मा० सर्वोच्च न्यायालय में योजित मिसलेनियस एप्लीकेशन M.A. (Diary) No. 4407/2023 एवं सम्बद्ध अन्य एप्लीकेशन में दिनांक 05.11.2024 को पारित निर्णय के अनुपालन में विद्युत सेवा आयोग, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के पत्रांक I/11859/2025 दिनांक 22.05.2025 द्वारा उपलब्ध कराये गये निम्न अर्ह तकनीशियन(विद्युत) कार्मिक को सेवा में पुनर्बहाल किया जाता है एवं स्तम्भ-9 के अनुसार निगम आवंटित किया जाता है:-

S. No	Roll No	Regn No	Name	Father Name	Date Of Birth	Home District	PREVIOUS DISCOM	ALLOTTED DISCOM
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	23110428	144006221	Sudhakar Chauhan	Harindra Chauhan	13.09.1987	Mau	PuVVNL	PuVVNL

उपर्युक्त कार्मिक की पुनर्बहाली निम्न प्रतिबंधों के अधीन की जा रही है:-

I. तकनीशियन कार्मिक द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों/सूचना में यदि किसी स्तर/समय पर कोई कमी पायी जाती है अथवा उनके द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग कर चयन पाये जाने का मामला प्रकाश में आता है तो उनका चयन/ नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी एवं उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी।

II. ऐसे तकनीशियन कार्मिक जो वर्तमान में किसी अन्य विज्ञापन से चयनित होकर उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं इसकी सहयोगी कंपनियों तथा उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 में सेवायोजित हैं अथवा किसी अन्य शासकीय/अर्ध शासकीय कंपनी/विभाग व उपक्रम में सेवायोजित हैं, उनके द्वारा अपने नवीन पुनर्बहाली स्थल पर उनके वर्तमान कंपनी/विभाग व उपक्रम से अवमुक्ति संबंधी प्रपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

निगम मुख्यालय स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही :-

I. उपरोक्त तकनीशियन(विद्युत) को रिक्त पदों के विरुद्ध तैनाती हेतु निगम मुख्यालय द्वारा आवश्यकता अनुसार खण्डीय कार्यालय में आवंटित किया जाएगा।

II. उक्त तकनीशियन (विद्युत) के चयन के समय विद्युत सेवा आयोग द्वारा प्रेषित मूल डोजियर एवं पूर्व तैनाती खण्ड में उपलब्ध मूल सेवा पुस्तिका पूर्व के तैनाती खण्ड/ प्रथम तैनाती खण्ड से मूल रूप में नवीन पुनर्बहाली स्थल को प्रेषित करने हेतु संबंधित को निर्देशित किया जाएगा।

नव पदस्थापना स्थल के प्राधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही:-

I. नव पदस्थापना स्थल के प्राधिकारी द्वारा पुनर्बहाल तकनीशियन कार्मिकों को पुनर्बहाली पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु पत्र प्रेषित किया जायेगा। किसी कार्मिक को नवीन नियुक्ति पत्र(appointment letter) नही निर्गत किया जाना है क्योंकि यह पुनर्बहाली है, नई नियुक्ति नहीं है।

II. नव पदस्थापना स्थल के प्राधिकारी द्वारा कार्मिक के सेवा से निष्कासन से पूर्व के तैनाती स्थल/प्रथम तैनाती स्थल से उनका मूल डोजियर प्राप्त किया जायेगा एवं उससे कार्मिक तथा उनके प्रपत्रों का सत्यापन कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व किया जायेगा।

III. पूर्व तैनाती स्थल/प्रथम तैनाती स्थल से कार्मिक की Service Book नव पदस्थापना स्थल के प्राधिकारी द्वारा प्राप्त कर पूर्ण की जाएगी।

10/06/25
EEH4

IV. मा0 उच्चतम न्यायालय के सन्दर्भित निर्णय के अनुसार पुनर्बहाली पश्चात सेवा ज्वाइन करने वाले तकनीशियन (विद्युत) को पूर्व की मूल नियुक्ति तिथि से सभी परिणामी लाभ यथा सेवा निरंतरता Pay Fixation एवं टर्मिनल Benefits इत्यादि नव पदस्थापना स्थल के प्राधिकारी द्वारा प्रदान किये जाएंगे।

V. अभ्यर्थी के अभिलेखों के मूल प्रमाण पत्रों से मिलान/जांच कराना सुनिश्चित करेंगे।

VI. कोई सूचना/गलत/असत्य/अपूर्ण पाये जाने पर तत्काल विद्युत सेवा आयोग/ मुख्य अभियन्ता(हाइडिल), को सम्बन्धित निगम मुख्यालय के माध्यम से सूचित किया जायेगा।

संलग्नक :- मा० सर्वोच्च न्यायालय में योजित मिसलेनियस एप्लीकेशन M.A. (Diary) No. 4407/2023 एवं सम्बद्ध अन्य एप्लीकेशन में दिनांक 05.11.2024 को पारित निर्णय सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न है।

मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उ0प्र0पा0का0लि0

संख्या 12743 /2025/E-7/ तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. प्रबंध निदेशक, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी।
4. निदेशक(का0प्र0 एवं प्रशा0), पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0 वाराणसी।
5. अध्यक्ष/सचिव, विद्युत सेवा आयोग, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. अधिशासी अभियन्ता-वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित की उक्त ज्ञाप कारपोरेशन के वेबसाइट पर अपलोड़ करने का कष्ट करें।

02.06.2025

(अम्बुज सिंह गहरवार)
वैयक्तिक सहायक(द्वितीय)
कृते मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)